अध्याय–5
महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक विवरण एवं उनकी भागीदारी

5.0 भूमिका

अगर हमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के विचार तथा व्यवहार जानना हो तो इसकी जानकारी हमें उस व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, धर्म, भाषा तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जानकर हो सकती है। यह इसलिये आवश्यक है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब वह सिर्फ एक जैविकीय प्राणी होता है परंतु धीरे–धीरे सामाजिक प्राणी बनने के क्रम में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसे उस समाज की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त करनी होती है। यह जानकारी उसे जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने में मदद करती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं की जनांकिकी तथा सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिये इसके दो घटकों जैसे जन्मगत पृष्ठभूमि (Ascribed Status) तथा अर्जित पृष्ठभूमि (Achieved Status) एवं दोनों के अंतर्संबंधों को समझना आवश्यक है। जहाँ जन्मगत पृष्ठभूमि व्यक्ति की उम्र, यौन, रंग आदि की जानकारी देती है वहीं अर्जित पृष्ठभूमि उसकी वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय आदि की जानकारी देती है।

जन्मगत पृष्ठभूमि का व्यक्ति की इच्छा–अनिच्छा से संबंध नही होता परंतु अर्जित पृष्ठभूमि व्यक्ति अपने प्रयास से प्राप्त करता है। पृष्ठभूमि के ये दोनों अंग परस्पर विरोधी लगते हैं परंतु यथार्थ में वे एक–दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यही कारण है कि आय एवं पेशे के आधार पर अपेक्षाकृत उच्च वर्ग के बच्चों की तुलना में निम्न आय समूह के बच्चों के शरीर में विकास मंद गति से होता है और ये बच्चे अपेक्षाकृत कम स्वस्थ्य होते हैं।

इसी तरह आर्थिक स्थिति से चिकित्सा सेवा सुविधा का संबंध है और उस चिकित्सा से व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं आयु निर्धारित होती है। संक्षेप में ये दोनों ही पृष्ठभूमि जानने के लिये आवश्यक तत्व हैं और इनका विश्लेषण हम विभिन्न क्षेत्रों/वस्तुओं/संस्थाओं तथा मान्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये करते हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रस्तुत अध्ययन में जनांकिकी एवं सामाजिक संरचना से संबंधित जो आंकड़े उभरकर सामने आये हैं वे निम्नानुसार हैं–

5.1 लिंग

उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण करने पर सर्वप्रथम उनका लिंग के आधार पर वर्णन किया जाता है। भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। किसी स्थान विशेष पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो सकती है परंतु यह केवल अपवाद होगा। सामान्यतया पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक ही पायी जाती है। यही स्थिति हम देश तथा राज्य स्तर पर भी देखते हैं। देश तथा राज्य स्तर पर भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। अध्ययन में भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पाया गया है। जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अभी भी निम्नतर है।

तालिका क्रमांक–5.1

लिंग अनुसार परिवार के सदस्यों की स्थिति

क्रं.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	महिला	884	54.20
2.	पुरुष	747	45.80
	कुल	**1631**	**100**

ग्राफ क्रमांक–5.1

लिंग अनुसार परिवार के सदस्यों की स्थिति

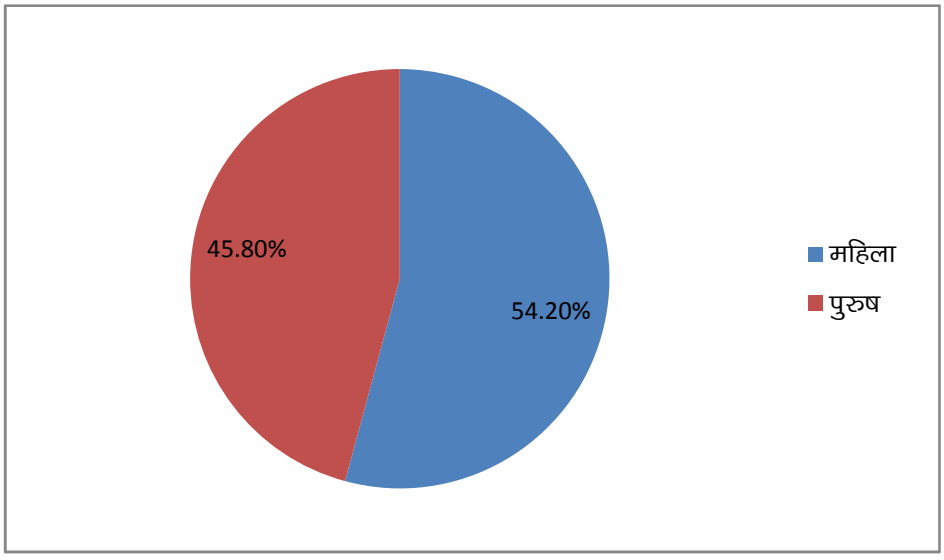

उपर्युक्त तालिका के अनुसार उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों को लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तो कुल 200 परिवारों में कुल 1631 सदस्य हैं जिसमें से 884 महिलायें तथा 747 पुरुष हैं। यदि इन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो अध्ययन क्षेत्र में कुल सदस्यों में से 54.19 प्रतिशत महिलायें तथा 45.80 प्रतिशत पुरुष हैं।

5.2 आयु

मानव जीवन की प्रमुख जैविक संरचना को आयु की अवधारणा से संबंधित किया गया है। वैयक्तिक जीवन पर आयु का प्रभाव समाज में स्वीकार किया जाता है। समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति एवं भूमिका के निर्धारण में आयु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयु के आधार पर किसी भी समुदाय, संस्था या समाज के सदस्यों को विभिन्न वर्गों में बाँटा जा सकता है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व को निर्धारित एवं प्रभावित करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आयु वृद्धि के साथ–साथ परिपक्व होती जाती है। व्यक्ति एक निश्चित आयु के बाद ही व्यवसाय, विवाह, उत्तरदायित्व, सामाजिक संबंध, आर्थिक लेन–देन तथा सही तथा गलत की स्थिति से भिज्ञ होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे–जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे–वैसे उसके अनुभव तथा जागरुकता में वृद्धि होती जाती है जिससे वह अपने आस–पास के वातावरण तथा सही–गलत को विश्लेषित करने लगता है।

तालिका क्रमांक–5.2

आयु के आधार पर परिवार की स्थिति

क्रं.	आयु समूह वर्ष में	आवृत्ति	महिला	पुरुष	कुल प्रतिशत
1.	0 – 3	106	50	56	6.49
2.	3 – 5	192	94	98	11.77
3.	5 – 10	164	405	59	10.05
4.	10 – 19	185	132	53	11.34
5.	19 – 29	269	144	125	16.49
6.	29 – 39	297	135	162	18.20
7.	39 – 49	184	105	79	11.28
8.	49 – 59	173	84	89	10.60
9.	59 +	61	35	26	3.6
	योग	**1631**	**884**	**747**	**100**

ग्राफ क्रमांक–5.2

आयु के आधार पर परिवार की स्थिति

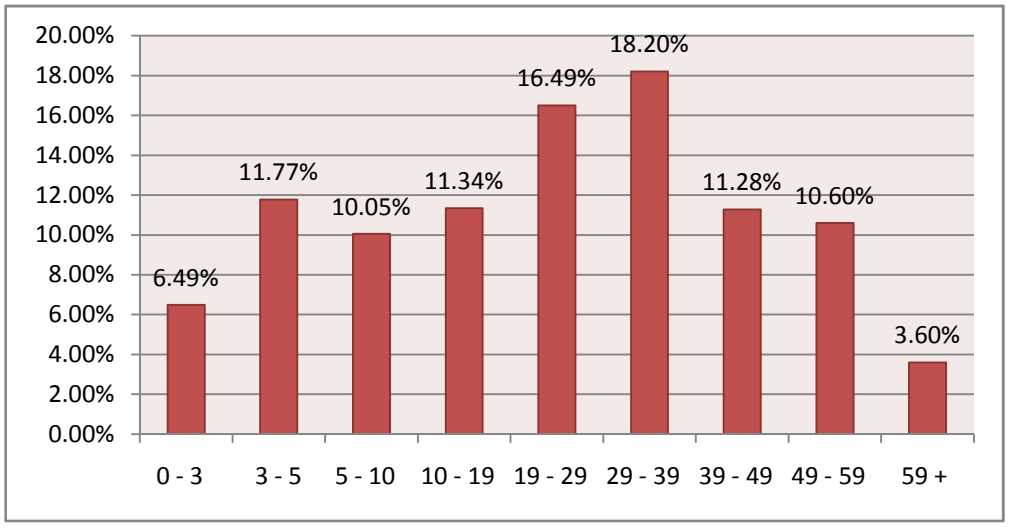

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों को आयु समूह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के कुल 298 बच्चे है, जिनमें से आँगनवाड़ी जाने वाले बच्चों की संख्या 257 है। 5 से 10 वर्ष के सदस्यों की संख्या 164 है, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 105 तथा पुरुषों की संख्या 59 है। 10 से 19 वर्ष के कुल 185 सदस्य है, जिसमें 132 महिला सदस्य है एवं 53 पुरुष सदस्य है। 19 से 29 वर्ष के कुल 269 सदस्य है, जिसमें 144 महिला सदस्य एवं 125 पुरुष सदस्य है। 29 से 39 वर्ष के कुल 297 सदस्य है, जिसमें 135 महिला सदस्य एवं 162 पुरुष सदस्य है। 39 से 49 वर्ष के 184 सदस्य है, जिसमें 105 महिला सदस्य तथा 79 पुरुष सदस्य हैं। 49 से 59 वर्ष के 173 सदस्य है, जिसमें 84 महिला सदस्य तथा 89 पुरुष सदस्य है। 59 से अधिक उम्र के 61 सदस्य है, जिसमें 35 महिला सदस्य तथा 26 पुरुष सदस्य है।

5.3 वैवाहिक स्थिति

समाज में निरंतरता बनाये रखने के लिए मानव उत्पत्ति प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है और इस प्रयोजन के लिए विवाह नामक संस्था सर्वमान्य है। किसी समाज में व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति अन्य अविवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा उसके महत्व को प्रदर्शित करती है। सामाजिक संबंधों, क्रियाकलापों एवं मूल्यों के संचरण हेतु वैवाहिक संबंध स्थापित किये जाते हैं। विवाह वस्तुतः पुरुष एवं स्त्री द्वारा स्थापित वह संबंध है जिसे सामाजिक मान्यता एवं संरक्षण प्राप्त होता है। विवाह व्यक्ति को समाज में एक

निश्चित प्रस्थिति प्रदान करता है। समुदाय विशेष की सामाजिक क्रिया की परिधि में व्यक्ति को नई सामाजिक प्रस्थिति व समाजीकरण को बनाये रखने में विवाह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह मानव समुदाय की निरंतरता को बनाये रखने तथा उसके संरक्षण पर आधारित एक समझौता है। भारतीय समाज और आदिवासी समुदाय में विवाह दो व्यक्तियों का संबंध न होकर दो परिवारों का संबंध होता है और इस संदर्भ में यह मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। आदिवासी समुदाय में इसे एक धार्मिक उत्तरदायित्व के रुप में स्वीकार किया जाता है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया गया है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता ळें

तालिका क्रमांक–5.3

वैवाहिक स्थिति के आधार पर परिवार की स्थिति

क्र.	परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति	विवरण	प्रतिशत
1.	विवाहित	394	24.15
2.	अविवाहित	997	61.12
3.	विधवा	187	11.46
4.	विधुर	53	3.24
	योग	**1631**	**100**

उपर्युक्त तालिका के अनुसार के परिवार के सदस्यों को वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया हैं जिसमें से 394 अर्थात 24.15 सदस्य विवाहित है, 997 अर्थात् 61.12 सदस्य अविवाहित है। 187 अर्थात् 11.46 सदस्य विधवा महिलायें है तथा 53 अर्थात 3.24 प्रतिशत सदस्य विधुर हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाताओं से जो विवाहित, विधवा तथा विधुर हैं उनसे उनकी विवाह के समय आयु के बारे में भी जानकारी ली गई। इसे निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

ग्राफ क्रमांक–5.3

वैवाहिक स्थिति के आधार पर परिवार की स्थिति

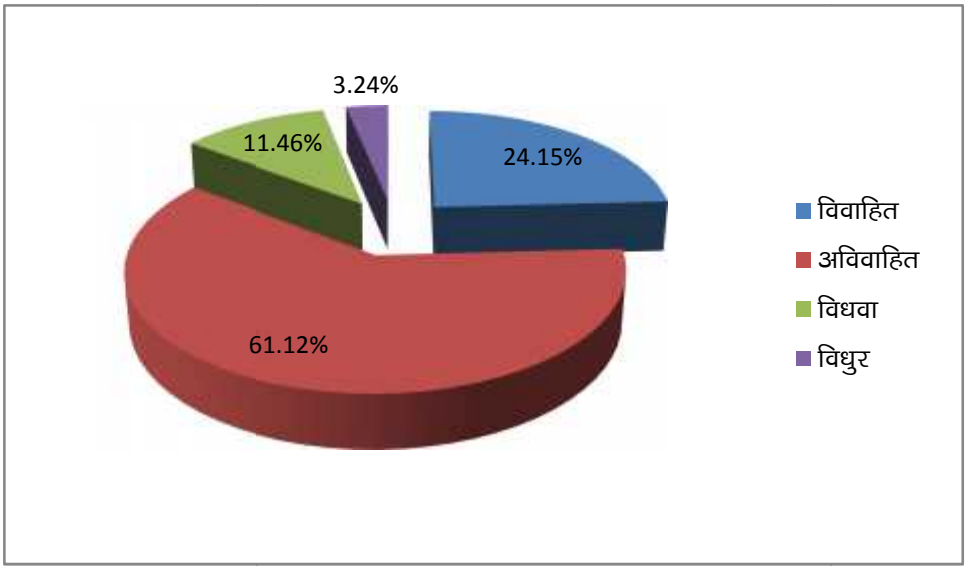

तालिका क्रमांक–5.4

विवाह के समय आयु

क्रं.	विवरण	18 वर्ष से कम	18 वर्ष से अधिक
1.	विवाहित	187 (47.46%)	207 (52.53%)
2.	विधवा	144 (77.00%)	43 (22.99%)
3.	विधुर	08 (15.09%)	45 (84.90%)

उपर्युक्त तालिकानुसार कुल विवाहित सदस्यों में से 187 सदस्यों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में, अर्थात् 47.46 प्रतिशत तथा 207 अर्थात् 52.53 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 18 वर्ष से अधिक उम्र में हुआ था। विधवा महिलाओं में से 144 अर्थात् 77.00 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम उर्म में तथा 43 अर्थात् 22.99 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से अधिक उम्र में सम्पन्न हुआ था। विधुर पुरूषों में से 45 अर्थात् 84.90 प्रतिशत पुरूषों का विवाह 18 वर्ष से अधिक उम्र में तथा 8 अर्थात् 15.09 विधुर पुरूषो का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ था।

5.4 शैक्षणिक स्थिति

प्रत्येक समाज में औपचारिक शिक्षा विकास की गति का निर्धारण करती है। यह वैयक्तिक जीवन की अमूल्य निधि है जो व्यक्ति को व्यावसायिक जीवन के चयन में सहयोग प्रदान करती है। विकासशील समुदायों में शिक्षा व्यक्ति में समाजोपयोगी गुण एवं तकनीक का समावेश करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति परंपराओं से हटकर व्यवसाय चयन की कुशलता प्राप्त करता है, साथ ही साथ अन्य व्यवसायों से संबंधित कुशलता के संदर्भ में भी उसे ज्ञान होता है। शिक्षा के स्तर के अनुरुप व्यक्ति उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त करने में सफल होते हैं तथा परिस्थिति के सूचक होने के परिणामस्वरुप विकासशील समाजों में परिवार का प्रत्येक सदस्य शिक्षा हेतु एक–दूसरे को प्रेरित करता है। इस संदर्भ में अध्ययनक्षेत्र के अंतर्गत उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की शैक्षिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की गई। इसकी जानकारी प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य यह था कि शैक्षिक स्थिति के आधार पर ही उनकी जागरुकता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जागरुकता की स्थिति की जानकारी होने पर ही उनमें अत्याचार के विरोध करने की जानकारी होगी। इसी आधार पर उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों के शैक्षिक स्थिति की जानकारी ली गई। परिवार के सदस्यों के शैक्षिक स्थिति की जानकारी निम्न तालिका से आसानी से समझा जा सकता है।

तालिका क्रमांक–5.5

उत्तरदाताओं के परिवार की शैक्षणिक स्थिति

क्रं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	632	38.74
2.	शिक्षित	999	61.25
3.	प्राथमिक	281	28.12
4.	माध्यमिक	304	30.43
5.	हाई स्कूल	179	17.91
6.	हायर सेकेण्ड्री	39	13.91
7.	स्नातक	89	13.91
8.	स्नातकोत्तर	7	0.7
	योग	**1631**	**100**

ग्राफ क्रमांक–5.4

उत्तरदाताओं के परिवार की शैक्षणिक स्थिति

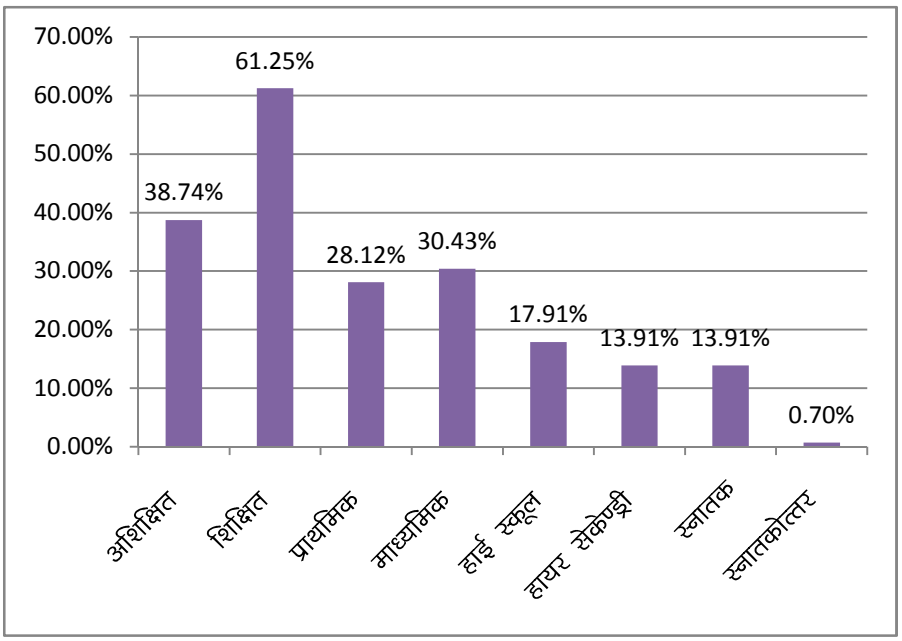

उपर्युक्त तालिकानुसार अध्ययन में यह पाया गया कि कुल सदस्यों में से 932 सदस्य अर्थात् 38.74 प्रतिशत अशिक्षित सदस्य है एवं 999 अर्थात् 61.25 प्रतिशत सदस्य शिक्षित हैं। शिक्षित सदस्यों को वर्गो में विभाजित करने के पश्चात उनके प्रतिशत को भी ज्ञात किया गया। शिक्षित सदस्यों को 6 वर्गो में विभाजित किया गया हैं यह है, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी, स्नातक, स्नातकोततर। 28.12 प्रतिशत सदस्य प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थे। 30.43 सदस्य माध्यमिक स्तर तक शिक्षित थे। 17.91 प्रतिशत सदस्य हाई स्कूल तक, 13.91 सदस्य हायर सेकेण्डरी तक, 8.9 सदस्य स्नातक तक तथा मात्र 0.7 सदस्य स्नातकोत्तर तक शिक्षित थे।

वहीं संपूर्ण रायसेन जिले की बात करें तो पाते हैं कि शैक्षणिक जनगणना 2001 के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर 72.76 प्रतिशत है। यदि डीपीआईपी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत पढ़ और लिख सकता है लेकिन 57 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है। एक बात यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवल 49 प्रतिशत लोग अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते हैं।

5.5 व्यवसाय

व्यवसाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के निर्धारण के साथ उसकी सामाजिक प्रस्थिति का भी निर्धारण करता है। व्यवसाय के आधार पर किसी समुदाय के व्यक्तियों को उनके व्यावसायिक संबंध एवं भूमिका के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक

विकास सहयोग तथा संघर्ष दोनों के द्वारा होता है। समाज के विकास के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। कार्य क्षेत्र में सहयोग में श्रम विभाजन तथा श्रम सहयोग दो तत्व होते हैं जो समाज की व्यावसायिक संरचना का निर्धारण करते हैं। व्यवसाय के आधार पर ही व्यक्ति की प्रस्थिति तथा भूमिका का निर्धारण होता है। कई बार व्यवसास के द्वारा व्यक्ति की समाज में स्थिति का निर्धारण किया जाता है, खासकर दलितों के संदर्भ में देखें तो यह सत्य प्रतीत होता है। चूँकि व्यवसाय के क्रम में दलितों का कार्य सबसे निम्न स्तर पर है इसलिए सामाजिक संवर्ग में उन्हें सबसे निचले क्रम पर रखा गया है। व्यावसायिक स्थिति के आधार पर ही किसी समुदाय विशेष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। व्यावसायिक स्थिति के आधार पर ही आर्थिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। इसी आधार पर उत्तरदाताओं के सदस्यों के व्यावसायिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। उत्तरदाताओं की विस्तार से जानकारी निम्न तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका क्रमांक–5.6

परिवार के सदस्यों का प्रमुख व्यवसाय

क्रं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	मजदूरी	312	19.12
2.	कृषि मजदूरी	480	29.42
3.	व्यापार	87	5.33
4.	वनोपज संग्रहण	290	17.78
5.	अकार्यशील व्यक्ति	462	28.32
	योग	**1631**	**100**

ग्राफ क्रमांक–5.5

परिवार के सदस्यों का प्रमुख व्यवसाय

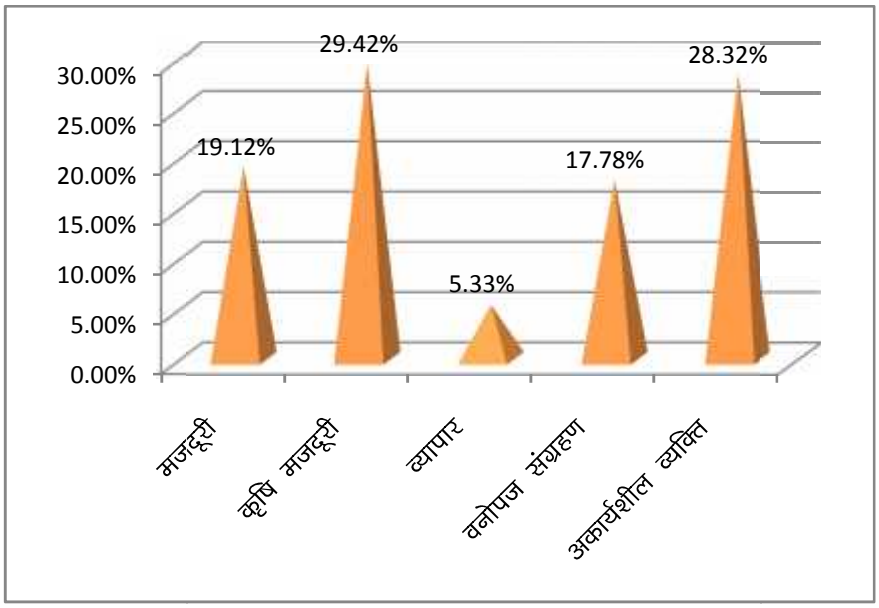

उपर्युक्त तालिकानुसार उत्तरदाताओं के परिवार को उनके व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया हैं जिसमें से 1169 अर्थात् 71.67 प्रतिशत व्यक्ति कार्यशील है। जिसमें 312 अर्थात् 19.12 प्रतिशत सदस्य मजदूरी का कार्य करते है, 480 अर्थात् 29.42 प्रतिशत सदस्य कृषि मजदूरी का कार्य करते है, 87 अर्थात् 5.33 प्रतिशत सदस्य व्यापार का कार्य करते है तथा 290 अर्थात् 17.78 प्रतिशत सदस्य अन्य व्यवसाय करने के साथ–साथ वनोपाज संग्रह का काम करते है। तथा सभी सदस्यों में से 462 अर्थात् 28.32 प्रतिशत सदस्य अकार्यशील है।

5.6 जाति

भारतीय ग्रामीण परिवेश में सामाजिक–आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जाति के आधार पर ही उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। चूँकि प्रस्तुत अध्ययन का एक उद्देश्य महिलाओं में समानता की स्थिति भी ज्ञात करना है, अतः इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं से उनकी जाति की भी जानकारी ली गई। उत्तरदाताओं की जातिगत स्थिति निम्नांनुसार है।

तालिका क्रमांक 5.7

जाति के आधार पर वर्गीकरण

क्रं.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	45	22.50
2.	अनुसूचित जनजाति	78	39.00
3.	पिछड़ा वर्ग	67	33.50
4.	सामान्य	10	5.00
	योग	**200**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन में सर्वाधिक 39 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जनजाति की है। इसके बाद 33.5 प्रतिशत महिलायें अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है। अनुसूचित जाति की 22.5 प्रतिशत महिलायें हैं जो अध्ययन में शामिल हैं। सामान्य वर्ग की केवल 5 प्रतिशत महिलाओं ने अध्ययन में भाग लिया है।

ग्राफ क्रमांक 5.6

जाति के आधार पर वर्गीकरण

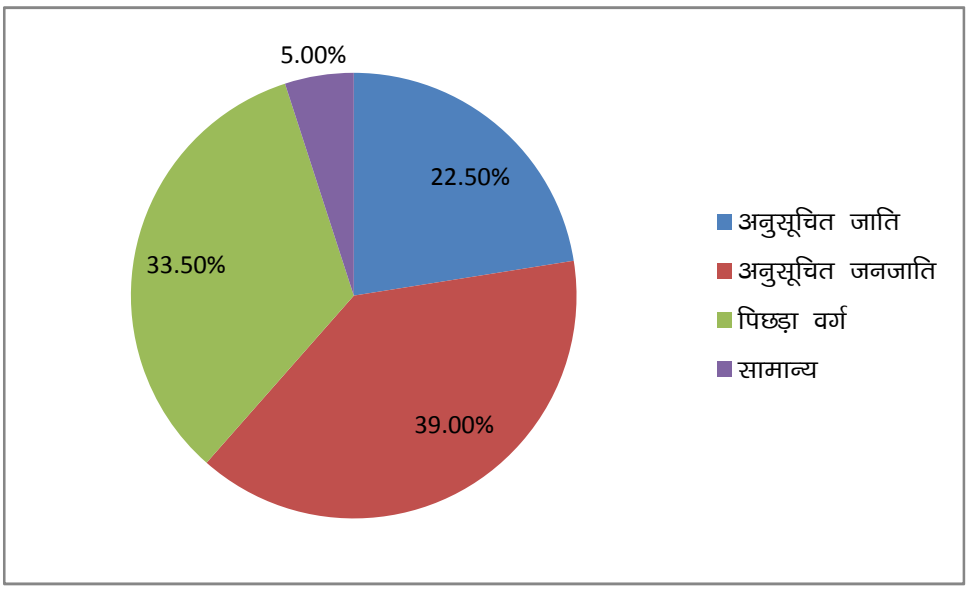

अध्ययन में उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति देखें तो ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के गाँवों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। साथ ही यदि आयु के आधार पर सदस्यों की संख्या देखें तो पाते हैं कि अधिकतर सदस्य या तो बच्चे है अथवा किशोर अवस्था के हैं। वहीं वरिष्ठ सदस्यों की संख्या काफी कम है जो अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर स्थिति का द्योतक है। इसके अतिरिक्त, विवाहितों की अपेक्षा अविवाहितों की संख्या अधिक है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अध्ययन क्षेत्र में लगभग 12 प्रतिशत महिलायें विधवा हैं। साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं का विवाह 18 वर्ष से अधिक आयु में हुआ था। वहीं शैक्षणिक स्थिति देखें तो कुल सदस्यों में से मात्र 7 सदस्य ही ऐसे हैं जो स्नातकोत्तर तक शिक्षित हैं। यह भी पाया गया कि जो कार्यशील जनसंख्या है उनमें से आधे से अधिक सदस्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि मजदूरी या मजदूरी है। यदि जातिगत आधार पर उत्तरदाताओं को देखें तो पाते हैं कि सर्वाधिक उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति की हैं।

5.7 मकान का स्वरूप

किसी भी समुदाय में मकान का स्वरूप, आकार–प्रकार एवं उसकी अवस्थिति जहाँ एक तरफ उस समुदाय के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को दर्शाने वाला कारक है, वहीं दूसरी तरफ यह उनकी जीवनचर्या को भी स्पष्ट करता है। यदि हम अध्ययन के गाँवों में मकान का स्वरूप देखें तो पाते हैं कि सभी चारों गांव के 200 परिवारों में से 92.6 प्रतिशत का कच्चा मकान है, 5.8 प्रतिशत का मिश्रित एवं 1.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पक्का मकान है।

मकान निर्माण की संभावित कीमत अधिकांशतः रु. 10,000– 50,000 के बीच है। इन मकानों के निर्माण वर्ष 1940 से लेकर 2008 तक हैं परन्तु सबसे अधिक मकानों का निर्माण 1980–2001 तक के बीच लगभग दो दशकों में हुआ है। मकान का निर्माण ज्यादातर परिवार के मुखिया द्वारा किया गया है, पिता द्वारा निर्मित मकान की संख्या इससे काफी कम है। दादा द्वारा, शासकीय/पंचायत द्वारा तथा अन्य द्वारा निर्मित मकानों की संख्या नगण्य है। अधिकांश मकानों का क्षेत्रफल 600–1000 वर्ग फीट है, कुछ मकान 100 वर्ग फीट से कम एवं कुछ 22,00 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल वाले हैं परंतु इनकी संख्या बहुत कम है।

42.2 प्रतिशत मकानों में 2–3 कमरे हैं। यद्यपि कुछ मकानों में कमरों की संख्या 5–7 तक है, तो कुछ मकान एक कमरे के ही हैं परन्तु इन दोनों प्रकार के मकानों की संख्या नगण्य है। अपवादस्वरूप एकाधिक मकानों में स्वतंत्र बैठक की व्यवस्था है। मकान में खिड़की की व्यवस्था देखें तो हम पाते हैं कि 42.2 प्रतिशत मकानों में कोई खिड़की नही है। इसके बाद वे मकान आते हैं जिनमें दो खिड़की रखी गई हैं, इससे अधिक खिड़की वाले मकानों की संख्या नगण्य है। प्रायः घरों में दो तरफ से दरवाजे रखे गये हैं। लगभग सभी मकानों की छत खपरैल है। सभी परिवारों में मात्र 1.3 प्रतिशत मकान ऐसे हैं जिनमें खपरैल की छत नही है। इनमें घास–फूस की छत एवं आर.सी.सी. दोनों प्रकार के मकान शामिल हैं।

यदि हम मकान में रसोईघर की स्थिति को देखें तो पाते हैं कि कमरे में ही रसोई की संख्या वाले मकान 58.2 प्रतिशत हैं जबकि अलग स्थान पर रसोई वाले मकान 41.8 प्रतिशत हैं। कुल 200 मकानों में मात्र 19.6 प्रतिशत मकानों के रसोईघर में खिड़की की व्यवस्था है। कुछ मकानों में रसोईघर या तो खुले छायादार स्थान में बने हैं या उनमें दो तरफ से दरवाजे हैं। परन्तु इस तरह के रसोईघरों की संख्या मात्र 3.9 प्रतिशत है। शेष 71.1 प्रतिशत मकानों के रसोईघर में खिड़की नही है। मवेशियों को बांधने के लिये अधिकांश मकानों में **'कोठा'** का निर्माण किया गया है परन्तु कुछ मकानों में बाड़ी या घर के अंदर एवं अन्य स्थानों पर भी पशुओं को बांधा जाता है।

इस प्रकार सामान्य तौर पर यहाँ एक मकान में 2–3 कमरे, एक रसोई घर, **बाड़ी** अर्थात् घर के बाहर का वह स्थान जहाँ पर कुछ बगीचा जैसा है, एवं मवेशियों के लिये कोठा होता है।

5.8 घरेलू संसाधनों की उपलब्धता

किसी परिवार में घरेलू सामान की उपलब्धता उसके जीवन स्तर एवं शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के प्रति उसकी प्राथमिकताओं को दर्शाती है। अध्ययन में शामिल परिवारों में उपलब्ध घरेलू संसाधनों एवं उनकी आकांक्षा को सभी छोटे–बड़े संसाधनों के संदर्भ में देखा गया है। इस क्रम में हम पाते हैं कि प्रायः सभी के पास लकड़ी की खटिया है, ज्यादातर परिवारों में 1–2 खटिया हैं। कुछ परिवारों में इससे अधिक 6 तक खटिया है पर ऐसे परिवार संख्या में कम हैं। वर्तमान में खटिया की संभावित कीमत लगभग 300 रू. है। अधिकांश लोगों ने इसे मजदूरी में मिले पैसों से खरीदा या बनवाया है।

खटिया का उपयोग सोने, मेहमानों एवं आने–जाने वालों के बैठने एवं छोटे बच्चों को सुलाने में किया जाता है। बहुत कम परिवारों में लोहे की खाट या पलंग की उपलब्धता है। लगभग 10 प्रतिशत परिवारों में लकड़ी के पलंग उपलब्ध हैं, इनमें अधिकांश वे परिवार हैं जिनके किसी सदस्य को दहेज में पलंग मिला है।

ऐसे परिवार जिनके पास गद्दा है, नगण्य (4.9 प्रतिशत) हैं। 37.3 प्रतिशत परिवार के पास तकिया, 6.2 प्रतिशत परिवारों में रजाई भी उपलब्ध है जबकि चादर रखने वाले परिवारों की संख्या काफी अधिक (64.4 प्रतिशत) है। कम्बल (79.6 प्रतिशत) एवं कथड़ी (79.6 प्रतिशत) अधिकांश परिवारों में उपलब्ध है। स्पष्ट होता है कि गद्दा–रजाई की अपेक्षा कम्बल एवं कथड़ी प्रायः सभी घरों में उपलब्ध है, जिसका कारण मात्र आर्थिक नही बल्कि परम्परागत प्रचलन भी है। कुछ (11 प्रतिशत) परिवारों में 1–2 मच्छरदानी का होना जागरूकता को इंगित करता है। अधिकांश मच्छरदानी पंचायत द्वारा वितरित की गई हैं, बहुत कम संख्या में लोगों ने इसे स्वयं खरीदा है। कुछ लोगों (5.3 प्रतिशत) के पास लकड़ी की कुर्सी एवं (17.3 प्रतिशत के पास) लकड़ी की टेबिल है। प्लास्टिक की कुर्सी भी कुछ परिवारों (20.4 प्रतिशत) के पास है जबकि प्लास्टिक की टेबिल रखने वालों की संख्या नगण्य है। प्लास्टिक का सामान होना उन्हें भूमण्डलीकरण की ओर ले जाने वाला प्रतीत होता है।

यदि हम घरों में विद्युत की उपलब्धता देखें तो पाते हैं कि अधिकांश (लगभग 90 प्रतिशत) घरों में विद्युत कनेक्शन है। ज्यादातर कनेक्शन चोरी से मुख्य विद्युत लाइन से तार फंसा कर लिया गया है। यद्यपि एक बल्ब विद्युत कनेक्शन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क दिया जाता है, परन्तु प्रायः सभी घरों में एक से अधिक बल्ब एवं संसाधनों में विद्युत का उपयोग होता है।

कुछ परिवारों के पास रेडियो, टेप रिकार्डर, ब्लैक एण्ड वाइट टी.वी. या रंगीन टी. वी. एवं सी.डी. प्लेयर है, इन परिवारों का प्रतिशत 4–13 तक है। 1.33 प्रतिशत परिवारों में कैमरा भी है। ये सभी संसाधन मनोरंजन के लिये लोगों ने स्वयं की आय से खरीदे हैं। कपड़े प्रेस करने के लिये प्रेस एवं पंखा भी कुछ परिवारों में उपलब्ध है। कूलर एवं फ्रिज ने यद्यपि इन गाँवों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है परन्तु चयनित परिवारों में इनकी उपलब्धता वाला मात्र 1 परिवार है।

आवागमन के संसाधनों को देखें तो अधिकांश परिवारों में साइकिल की उपलब्धता हैं। प्रायः सभी ने अपनी आय से साइकिल खरीदी है। कुछ परिवार ऐसे भी

हैं जिनमें विद्यालयीन छात्राओं को शासन से मिली साइकिल है परन्तु ये बहुत ही कम हैं। दोपहिया वाहन (मोटरसायकिल) मात्र 3.1 प्रतिशत परिवारों में है, जिन्हें स्वयं खरीदा गया है।

खाना पकाने के लिये सभी परिवारों में मिट्टी के चूल्हे का उपयोग होता है, अपवाद स्वरूप 2 (1.33 प्रतिशत) परिवार गैस स्टोव एवं विद्युत हीटर का उपयोग करते हैं। पीने के पानी के लिये पंचायत द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प एवं सार्वजनिक कुओं का उपयोग होता है, मात्र 12 प्रतिशत लोगों के निजी कुएँ हैं। ये वे परिवार हैं जिनके घर प्रायः खेत में बने हैं और सिंचाई के कुएँ से ही पीने के लिये पानी लिया जाता है। घरों में पानी की निकासी के लिये नाली नहीं बनाई गई हैं क्योंकि बर्तन आदि घर के पीछे बाड़ी में धोये जाते हैं, जहाँ आस-पास लगे पेड़-पौधों में इस पानी का उपयोग किया जाता है या कच्ची जमीन उसे सोख लेती है, वह बहता नही है। कुछ घरों में पारम्परिक वाद्ययंत्र जैसे ढोलक, मंजीरा आदि भी हैं, जिनका उपयोग गाँव/समुदाय के सभी आयोजनों में होता है।

परिवार में अधिकतम से लेकर न्यूनतम तक घरेलू संसाधनों की उपलब्धता को निम्न ग्राफ द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

ग्राफ क्रमांक 5.7

घरेलू संसाधनों की उपलब्धता

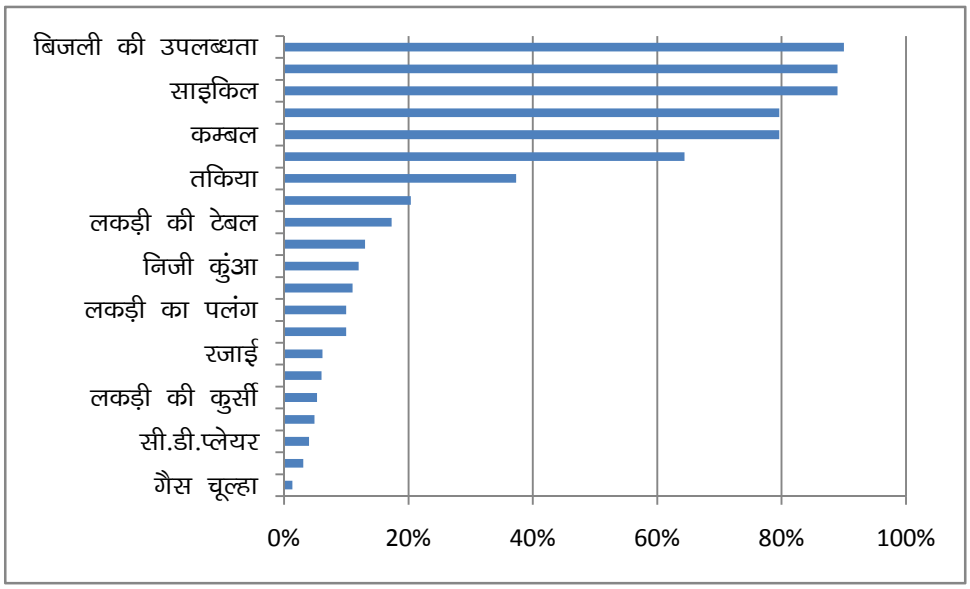

उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि ऐसे कौन से संसाधन जो वर्तमान में परिवार के पास नही हैं परन्तु वे उनकी आकांक्षा रखते हैं, तो उत्तरदाताओं

ने बताया कि वे प्लास्टिक की कुर्सी से लेकर रहने के अच्छे मकान तक की आकांक्षा रखते हैं। कुछ लोग किसी एक वस्तु विशेष की आकांक्षा रखते हैं तो कुछ एकाधिक वस्तुओं की। जो सामग्री आकांक्षा की वरीयता में सबसे ऊपर है वह है– टेलीविजन जिसे सबसे अधिक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। टी.वी. लेने की इच्छा रखने वालों में कुछ, विशेष तौर पर रंगीन टी.वी. लेना चाहते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की कुर्सी सबसे अधिक लोग लेना चाहते हैं, तीसरे क्रम में अच्छा घर या पक्का मकान बनाने की इच्छा है। इस क्रम में टेबिल, पंखा, पलंग, मोटरसाइकिल, साइकिल, रजाई–गद्दे, जमीन (मकान के लिये), सी.डी. प्लेयर, कूलर, मोबाइल आदि खरीदने की इच्छा भी लोगों में है। कुछ लोग शौचालय बनाने की, तो कुछ सिलाई मशीन, स्टोव, अलमारी, हारमोनियम और चारपहिया वाहन भी लेना चाहते हैं, पर इन वस्तुओं को चाहने वालों की संख्या काफी कम है।

5.9 कृषि संसाधनों की उपलब्धता

यदि हम अध्ययन के परिवारों में कृषि संसाधनों की उपलब्धता को देखें तो पाते हैं कि 55 प्रतिशत परिवारों में हल उपलब्ध है। अधिकांश परिवारों में मात्र 1 ही हल है, कुछ के पास 2 हल हैं परन्तु इनकी संख्या नगण्य है। हल की कीमत वर्तमान में लगभग 900रू. है। उपलब्ध हल 1985 से 2010 तक के कालखण्ड में बनवाये या खरीदे गये हैं। सबसे अधिक संख्या में हल सन् 2006 से 2009 के मध्य खरीदे गये हैं, यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि आधुनिक तकनीक के प्रति व्यापक जागरूकता एवं प्रचलन के बाद भी परम्परागत कृषि यंत्रों की आवश्यकता बनी हुई है। ज्यादातर परिवारों में हल स्वयं मुखिया द्वारा या उसके पिता द्वारा बनवाये गये हैं। बक्खर की भी कमोवेश यही स्थिति है। लगभग 55 प्रतिशत परिवारों में बक्खर हैं, अधिकांश परिवारों में एक ही बक्खर है। बक्खर की कीमत भी 200रू. से 800 रू. तक है जो 1985 से 2010 के बीच बनवाये या खरीदे गये हैं। उपलब्ध बक्खरों में से ज्यादातर 2006 से 2011 के बीच खरीदे या बनवाये गये हैं। ये भी स्वयं परिवार के मुखिया द्वारा खरीदे या बनवाये गये हैं। कृषि कार्य (जुताई) के लिये इनका उपयोग होता है। कुल्फा जो बीज बोने के काम आता है, यह मात्र 9 प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध है। इसकी कीमत 200 रू0 से 500रू. के बीच है, जो 2008 से 2012 के बीच खरीदे या बनवाये गये हैं। 'रेहट' जो कि सिंचाई का परम्परागत साधन है वह यहाँ अनुपस्थित है।

यदि नवीन तकनीक वाले कृषि संसाधनों की स्थिति को देखें तो पाते हैं कि कुल चयनित 200 परिवारों में से किसी के पास ट्रैक्टर, थ्रेसर एवं हार्वेस्टर नही है, यद्यपि गाँवों में ट्रैक्टर एवं थ्रेसर का पर्याप्त उपयोग होता है। आस-पास के गाँवों के कुछ लोगों के पास ये संसाधन हैं उनसे या गैरतगंज के अन्य लोगों से जो इन संसाधनों को व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कराते हैं, किराये पर लेकर इनका उपयोग होता है। हार्वेस्टर का उपयोग किसी भी तरह से नहीं किया जाता है। स्प्रेयर का उपयोग होता है किंतु इसकी उपलब्धता कम है, कुल 1.77 प्रतिशत परिवारों के पास स्प्रेयर है। आस-पास के परिवार भी इन स्प्रेयर का उपयोग करते हैं। स्प्रेयर पंचायत की सहायता से एवं स्वयं भी खरीदे गये हैं।

सिंचाई की सुविधा देखें तो कुल परिवारों में से मात्र 9.3 प्रतिशत के पास पंप-सेट व उद्वहन सिंचाई उपकरण हैं। सभी पंप-सेट 1990 से 2010 के बीच खरीदे गये हैं जिनकी कीमत 1500रू. से 18,000 रू. तक है। कुछ पंपसेट पिता द्वारा कुछ स्वयं मुखिया द्वारा या रिश्तेदारों से ऋण लेकर लिये गये हैं। कुछ पंपसेट पंचायत की सहायता से भी लिये गये हैं, जिनकी संख्या नगण्य है।

बैलगाड़ी जो कि परम्परागत कृषि संसाधन के साथ-साथ ग्रामीण समुदाय में आज भी आवागमन का एक आवश्यक साधन है, कुल परिवारों में से 21 प्रतिशत के पास उपलब्ध है। सभी परिवारों में 1 से अधिक बैलगाड़ी नही है। बैलगाड़ी की वर्तमान कीमत लगभग 8000 से 10000 रू. है। उपलब्ध बैलगाड़ी 1990 से 2010 के बीच बनवाई या खरीदी गई हैं। इनमें से ज्यादातर बैलगाड़ी 2005 से 2010 के बीच खरीदी या बनवाई गई हैं। अधिकांश लोग इसे सामान लाने ले जाने के लिये उपयोगी मानते हैं।

अध्ययन के गाँवों में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय नहीं है परन्तु कृषि के साथ-साथ जो मवेशी पाले जाते हैं उनमें गाय, भैंस, बकरी एवं बैल प्रमुख हैं। कुछ परिवार मुर्गी पालन भी करते हैं। यदि तुलनात्मक रूप से पशुपालन की स्थिति देखें तो पाते हैं कि सबसे अधिक 48 प्रतिशत परिवारों में बैल हैं। सभी चयनित गाँव में इनकी उपलब्धता 40 से 60 प्रतिशत के बीच है। प्रायः एक परिवार में 2 बैल हैं। इसके बाद गाय की संख्या है। कुल परिवारों में से 42 प्रतिशत के पास गाय है, यद्यपि इन परिवारों में 1-15 तक की संख्या में गाय हैं पर 1 और 2 गाय रखने वाले परिवार सबसे अधिक हैं जो अधिकांशतः परिवार द्वारा क्रय की गईं या पैतृक/ दहेज/ उपहार में

भी मिली हैं। 1995 से 2010 तक खरीदे गए बैलों की जोड़ी की कीमत रू. 900 से रू. 50000/– तक है।

इसके बाद बकरी की संख्या है जो कि कुल परिवारों में से 18 प्रतिशत परिवारों में पाली जाती हैं। ज्यादातर परिवारों में 2 बकरी हैं, उसके बाद 1, 3 और 4 बकरी रखने वाले परिवार हैं। कुछ परिवार इससे अधिक संख्या में (अधिकतम 15 तक) बकरी रखते हैं पर वे नगण्य हैं। बकरी रखने वाले परिवारों में से ज्यादातर ने स्वयं ही बकरी खरीदा है। उपहार में भी कुछ परिवारों को बकरी मिली हैं पर ये नगण्य हैं। दुधारू पशुओं में गाय के बाद भैंस की प्रधानतः देखी गई। भैंस स्वयं खरीदी गई है, पैतृक या दहेज/ उपहार में नहीं मिली हैं। कुल परिवारों में मात्र 8 प्रतिशत परिवारों में भैंस हैं जो स्वयं खरीदी गई है पैतृक संपत्ति, दहेज/ उपहार के रूप में नहीं मिली है। 1 और 2 की संख्या में भैंस पालने वाले परिवार की संख्या अधिक है, यद्यपि कुछ परिवार इससे अधिक (अधिकतम 5 तक) भैंस भी पालते हैं।

बैल प्रमुखतः कृषि के लिये तथा गाय–भैंस दूध एवं खाद (गोबर की खाद) के लिये पाले जाते हैं, जबकि बकरी को इस समुदाय के लोग पूंजी के लिये पालते हैं। मुर्गी पालन घरेलू उपयोग के लिये एवं पूंजी के रूप में किया जाता है। कुल परिवारों में से 53 प्रतिशत परिवार मुर्गी पालते हैं। 1 एवं 2 की संख्या में मुर्गी ज्यादातर परिवारों में हैं, कुछ परिवार इससे अधिक (15 तक) मुर्गियाँ पाले हुये हैं, पर उनकी संख्या नगण्य है।

वे कृषि संसाधन जो वर्तमान में परिवार में उपलब्ध नही हैं परन्तु जिन्हें कृषि के लिये लोग आवश्यक समझते हैं और उन संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, इस क्रम में सिंचाई के संसाधन सबसे अधिक आकांक्षा वाले संसाधन हैं।

विभिन्न संसाधनों के प्रति बहु–विकल्प जवाब के तहत लोगों ने जो आकांक्षा बताई उनमें 25.45 प्रतिशत, सिंचाई के विभिन्न संसाधनों (जैसे इंजन/ मोटर/ पंप/ पाइप और सिंचाई के सभी साधन) का है। इसके बाद दूसरे क्रम में (16.13 प्रतिशत) बैल, गाय एवं भैंस की आकांक्षा है। इन मवेशियों में भी सबसे अधिक आकांक्षा बैलों की है उसके बाद गाय–भैंस की। तीसरे स्थान पर (12.27 प्रतिशत) जमीन की आकांक्षा है। कृषि जमीन की आकांक्षा रखने वाले भूमिहीन एवं भू–स्वामी दोनों तरह के परिवार हैं। भू स्वामियों में ज्यादातर वे लोग कृषि की जमीन की आकांक्षा रखते हैं जिनकी जमीन उपजाऊ नही है या जिनके पास बहुत कम जमीन है। इसके बाद क्रमशः

कुआँ/बोरिंग (ट्यूब–वेल), उद्वहन सिंचाई यंत्र, हल–बक्खर, थ्रेसर/ ट्रैक्टर, स्प्रेयर, कुल्फा, खाद–बीज एवं विद्युत उपलब्धता की आकांक्षा भी लोग रखते हैं।

उत्तरदाता परिवारों के पास कृषि संसाधन एवं पशुधन की अधिकतम से लेकर न्यूनतम संख्या की उपलब्धता को निम्न ग्राफ से स्पष्टतः समझा जा सकता है।

ग्राफ क्रमांक 5.8

कृषि संसाधन एवं पशुधन की उपलब्धता

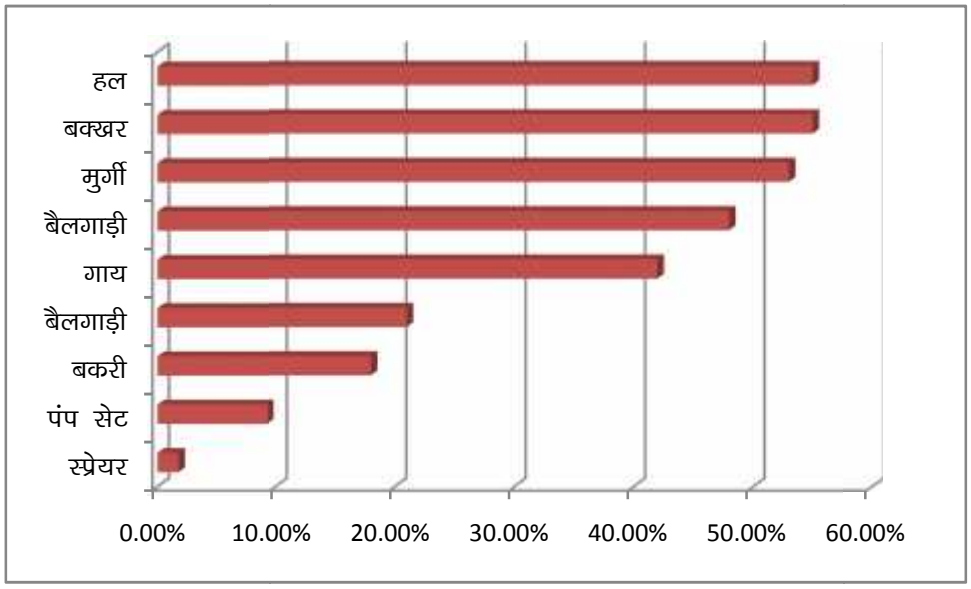

5.10 कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता

अध्ययन के गाँवों में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता को देखें तो पाते हैं कि कुल 200 परिवारों में से 21 प्रतिशत भूमिहीन हैं, 14.8 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ तक जोत की जमीन है एवं 46.2 प्रतिशत परिवारों के पास 2. 5–5 एकड़ तक जमीन है। इसी प्रकार 18.1 प्रतिशत परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन की मिल्कियत है।

5.11 सिंचित एवं असिंचित जमीन

कृषि जमीन में सिंचाई की सुविधा का होना अथवा न होना इस स्रोत से प्राप्त होने वाली आय का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। सिंचाई की सुविधा को देखें तो पाते हैं कि कुल 200 परिवारों में से 21 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं अर्थात् सिंचाई की सुविधा शेष 79 प्रतिशत भू–स्वामी परिवारों में लागू होती है। इन 79 प्रतिशत परिवारों

में से 42.1 प्रतिशत परिवारों की जमीन असिंचित है। मात्र 37.1 प्रतिशत परिवारों की जमीन सिंचित है जबकि शेष परिवार भूमिहीन हैं।

ग्राफ क्रमांक 5.9

कृषि भूमि के प्रकार का वर्गीकरण

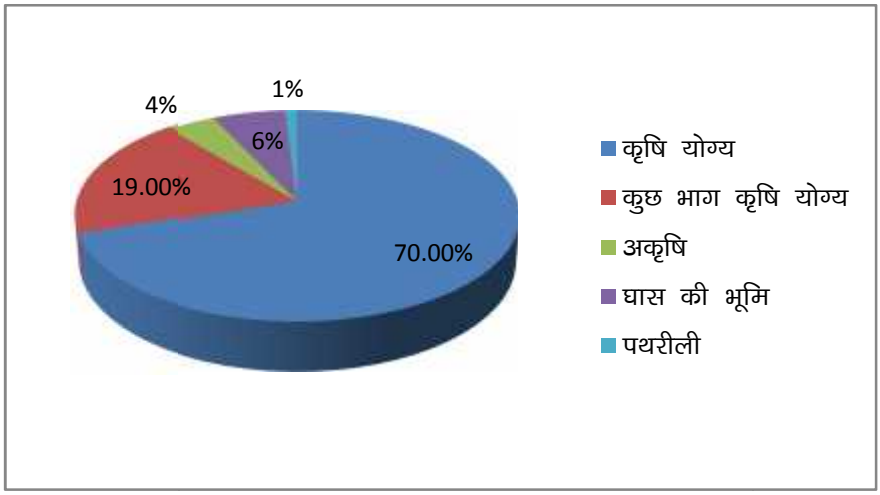

सिंचित और असिंचित भूमि के अलावा यदि कृषि योग्य और अकृषि योग्य भूमि के अंतर्गत उत्तरदाताओं के भूमि स्वामित्व की बात करें तो पाते हैं कि भू-स्वामी परिवारों में से 70 प्रतिशत परिवारों के पास जो भूमि उपलब्ध है वह पूर्णतः कृषि योग्य भूमि है। वहीं 19 प्रतिशत ऐसे परिवार है जिनके पास उपलब्ध भूमि में से कुछ भूमि ही कृषि योग्य है। इसके अतिरिक्त 4 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनके पास उपलब्ध भूमि कृषि के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास उपलब्ध भूमि में घास पैदा होती है तथा 1 प्रतिशत उत्तरदाता ने कहा कि उनकी जमीन बंजर है, उसमें कुछ भी नहीं उगता।

5.12 जमीन का पट्टा/कागजात

चयनित परिवारों में से भू-स्वामी परिवारों में भूमि का पट्टा अथवा कागजात की उपलब्धता को देखें तो पाते हैं कि 71 प्रतिशत भू-स्वामी परिवारों के पास उनकी पूरी जमीन के कागजात/पट्टा हैं और 24 प्रतिशत के पास आधी जमीन के कागजात हैं। मात्र 5 प्रतिशत भू-स्वामी परिवारों में अपनी जमीन के कागजात नही हैं। स्पष्ट है कि कुल भू-स्वामी परिवारों में से अधिकांश (95 प्रतिशत) के पास अपनी पूरी अथवा आधी जमीन के पट्टा/कागजात हैं, मात्र 5 प्रतिशत परिवारों के पास अपनी जमीन के कोई कागजात नही हैं।

5.13 स्थानीय बाजार के अनुसार जमीन की कीमत

जिन परिवारों के पास कृषि योग्य जमीन है, उनकी जमीन की स्थानीय कीमत के आधार पर परिवार की संख्या को देखें तो ज्ञात होता है कि कुल 79 प्रतिशत भू–स्वामी परिवारों में से 17 प्रतिशत परिवारों को उनकी जमीन की कीमत की जानकारी नही है, 13 प्रतिशत परिवारों ने अपनी जमीन की कीमत 25,000 रू. तक, 18 प्रतिशत परिवारों ने अपनी जमीन की कीमत 26,000–50,000 रू. तक, 14 प्रतिशत परिवारों ने जमीन की कीमत 51,000–1,00,000 रू. तक, 08 प्रतिशत ने 1,00,000– 1,50,000 रू. तक, 9 प्रतिशत ने जमीन की कीमत 1,51,000–2,00,000 रू तक, 5 प्रतिशत परिवार ने जमीन की कीमत 2,00,000–2,50,000 रू. तक तथा 3 प्रतिशत परिवार ने 2,51,000–3,00,000 रू. तक आंकी है। 3,00,000 रू. से अधिक कीमत वाली जमीन रखने वाले परिवारों की संख्या 13 प्रतिशत है।

5.14 शासन द्वारा जमीन का आवंटन

अध्ययन के गाँवों में यद्यपि विगत पांच वर्षों के दौरान किसी भी परिवार को शासन द्वारा जमीन नहीं मिली है परन्तु विगत 15–20 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत इन गाँवों में कुछ परिवारों को शासन द्वारा जमीन प्राप्त हुई है। इसमें अध्ययन में शामिल परिवार भी हैं एवं अध्ययन सीमा से बाहर के परिवार भी। कुल 200 उत्तरदाताओं में से 16 परिवार ऐसे हैं जिनको शासन से जमीन मिली है। इन 16 परिवारों में से 8 परिवारों ने बताया कि शासन से प्राप्त जमीन के पट्टे में परिवार की महिला का नाम है। शेष 8 परिवारों को या तो पट्टा/कागजात प्राप्त ही नही हुये या फिर उन्हें कागजात की जानकारी ही नहीं है। अधिकांश परिवारों को इसकी भी जानकारी नही है कि किस योजना के तहत उन्हें शासन से जमीन दी गई है।

स्थानीय बाजार के अनुसार 36.36 प्रतिशत परिवारों को शासन से प्राप्त जमीन की कीमत 50,000 रू. तक, 18.18 प्रतिशत परिवारों की जमीन की कीमत रू. 1,00,000 रू. तक तथा 18.18 प्रतिशत परिवारों को प्राप्त जमीन की कीमत रू. 1,00,000 से अधिक है। 27.28 प्रतिशत परिवारों को इस प्रकार की जमीन की कीमत की जानकारी नही है। शासन से प्राप्त जमीन की उपादेयता को देखें तो 63.63 प्रतिशत परिवार इस जमीन में थोड़ी–बहुत फसल का उत्पादन करते हैं जबकि 36.37 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनको इससे कोई फायदा नही है क्योंकि वे अनुपजाऊ हैं।

स्पष्ट है कि जिन परिवारों को शासन द्वारा जमीन दी गई है उसका 63 प्रतिशत ही थोड़ी बहुत मात्रा में लाभान्वित हो रहा है जबकि 37 प्रतिशत ने इस जमीन से कोई लाभ प्राप्त नही किया।

5.15 कृषि कार्य में प्रयुक्त जमीन

अध्ययन के गाँवों में कृषि कार्य में प्रयुक्त जमीन देखें तो पाते हैं कि चयनित परिवारों में से 79 प्रतिशत भू–स्वामी परिवारों में से 48.95 प्रतिशत परिवार अपनी पूरी जमीन में कृषि कार्य करते हैं, 44.79 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो अपनी आधी अथवा आधी से कम जमीन में खेती करते हैं। 6.26 प्रतिशत परिवार इस संदर्भ में कोई जानकारी नही दे सके।

5.16 जमीन की उत्पादकता की स्थिति एवं सुधार हेतु प्रयास

कुल 79 प्रतिशत भू–स्वामी परिवारों में से मात्र 12 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिनकी जमीन की मिट्टी उपजाऊ है। सबसे अधिक 81 प्रतिशत परिवारों की जमीन सामान्य है, 7 प्रतिशत परिवारों की भूमि अनुपजाऊ है।

भूमि की स्थिति सुधारने के लिये प्रयास कृषि के प्रति जागरूकता के स्तर को दर्शाते हैं। इस दृष्टि से अध्ययन के गाँवों में किये गये प्रयासों को देखें तो कुल 79 प्रतिशत भू–स्वामी परिवारों में से मात्र 11 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके द्वारा अपनी भूमि की स्थिति सुधारने के लिये प्रयास किये गये हैं। इनमें से 4 प्रतिशत परिवारों ने खेत में मेड़बंदी की है। 4 प्रतिशत परिवारों ने खेत के पत्थर हटाये एवं 1 प्रतिशत परिवार ने खेत में पेड़–पौधे लगाये हैं। इस क्रम में 2 प्रतिशत परिवारों ने खाद डालकर पोषक तत्वों की पूर्ति की है। शेष उत्तरदाता परिवारों ने कुछ नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि खेती के प्रबंधन से संबंधित नई तकनीक इन गाँवों में नही पहुँची है और इनके बीच कृषि व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से नही की जा रही है। कृषि के प्रति जागरूकता के स्तर को यदि मृदा परीक्षण के स्तर पर देखें तो पाते हैं कि अध्ययन के किसी भी गाँव में किसी भी भूस्वामी द्वारा मृदा परीक्षण नहीं कराया गया है।

5.17 ठेका/ बटाई पर जमीन लेना एवं देना

बटाई/ ठेका पर दूसरों की जमीन लेकर कृषि कार्य करने वाले परिवारों की संख्या को देखें तो कुल 200 परिवारों में से 36 प्रतिशत परिवार बटाई या ठेका पर जमीन लेकर कृषि कार्य कर रहे हैं। इन परिवारों में से 63.88 प्रतिशत परिवार 3

एकड़ तक जमीन ठेका/बटाई पर लिये हुये हैं, 33.33 प्रतिशत परिवार 3–5 एकड़ तक जमीन एवं 2.77 प्रतिशत परिवार 5–10 एकड़ के बीच बटाई/ठेका पर जमीन लिये हुये हैं।

अध्ययन के गाँवों में अपनी कृषि–भूमि को ठेका/बटाई पर देने वाले परिवारों की संख्या को देखें तो पाते हैं कि कुल भूस्वामी परिवारों में से 19.79 प्रतिशत ने अपनी जमीन ठेका/बटाई पर दे रखा है। अध्ययन के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि अध्ययन क्षेत्र की महिलायें पितृसत्तात्मक संस्था की अंतर्निहित शोषक प्रवृत्तियों को स्वाभाविक रूप से ढोती आ रहीं है और अपने पतियों/पिता के हर निर्णय को, भले ही वह उनके हित में न हो, स्वीकार कर लेती हैं। वे परिवार के पुरूष सदस्यों के लिए उपवास रखती हैं और जो महिलायें विवाहित हैं वे स्वयं को सुहागन मानकर संतुष्ट रहती हैं। सामान्यतया देखा गया है कि ससुराल में तो वे संपत्ति के अधिकार से वंचित रहती ही हैं, मायके की पैतृक संपत्ति में भी अपने भाईयों के हक में आसानी से उस संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ देती हैं।

5.18 रासायनिक एवं जैविक खाद का प्रयोग

कृषि कार्य में उर्वरक का प्रयोग कृषि के प्रति जागरूकता एवं उसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाने की मनोवृत्ति को इंगित करता है। अध्ययन के गाँवों में चयनित भूस्वामी परिवारों में पिछले वर्ष (2013–14) में फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त रकबा, रासायनिक एवं जैविक खाद का प्रयोग तथा कुल उत्पादन को देखें तो पाते हैं कि खरीफ की फसलों के लिये 225.25 एकड़ रकबा प्रयुक्त हुआ। इसमें सबसे बड़े रकबा (81 एकड़) में सोयाबीन बोई गई, उसके बाद ज्वार (55 एकड़) तथा मक्का (47.25 एकड़) के रकबा हैं। सबसे कम (2 एकड़) रकबे में बाजरा बोया गया है। इस तरह खरीफ की फसलों में यहाँ सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल सोयाबीन एवं सबसे कम बोई जाने वाली फसल बाजरा है।

खरीफ की अन्य फसलें जैसे तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली एवं कोदो/कुटकी/सामा आदि भी बोई गई हैं। खरीफ की फसलों के लिये बोया गया कुल रकबा 253.25 एकड़ एवं सभी फसलों का कुल उत्पादन 2449.93 क्विंटल है। सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन, ज्वार एवं धान का है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि सबसे अधिक रकबे में सोयाबीन, ज्वार एवं मक्का बोया गया है परन्तु उत्पादन के क्रम में मक्का सबसे नीचे रहा।

यदि समग्र रूप में देखें तो अनाज का उत्पादन 86 प्रतिशत परिवारों में, दलहन का उत्पादन भी 86 प्रतिशत परिवारों में, तिलहन का उत्पादन 31 प्रतिशत परिवारों में तथा अन्य अखाद्य फसलों का उत्पादन 2 प्रतिशत परिवारों में हुआ। इसे निम्न ग्राफ के माध्यम से ठीक से समझा जा सकता है।

ग्राफ क्रमांक 5.10

उत्पादन के प्रकार का वर्गीकरण

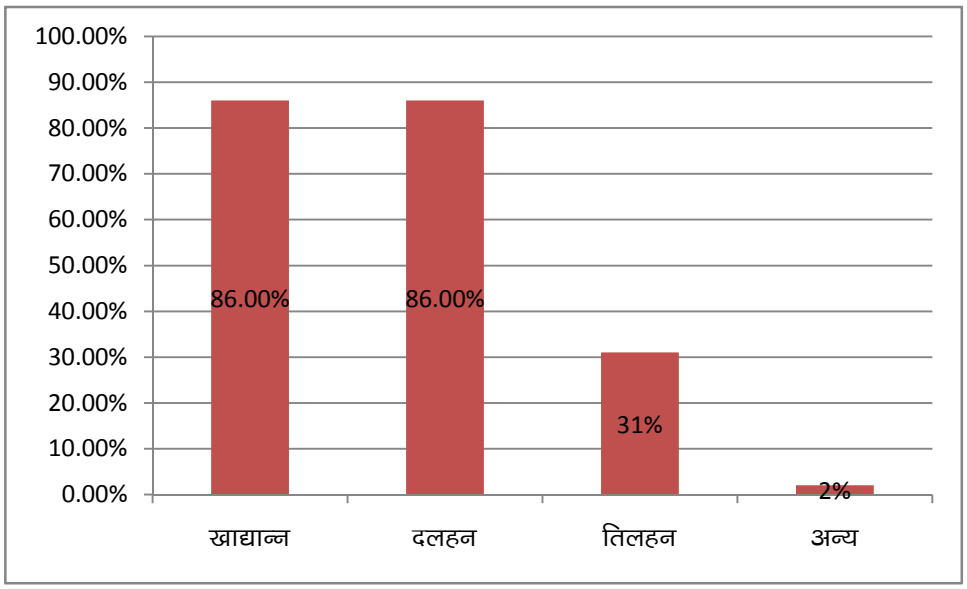

जहाँ तक खाद के प्रयोग की स्थिति है, तो खरीफ की फसलों में रासायनिक एवं जैविक दोनों प्रकार के खाद का प्रयोग किया गया है। रासायनिक खाद में मुख्यतः यूरिया एवं डी.ए.पी. का प्रयोग किया गया है। सभी प्रकार की खरीफ फसलों में कुल 3433 कि.ग्रा. रासायनिक खाद एवं 3656 कि.ग्रा. गोबर की खाद का प्रयोग हुआ है। सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग सोयाबीन के उत्पादन में किया गया है जबकि सबसे अधिक गोबर खाद का प्रयोग मक्का के उत्पादन में हुआ है। चयनित गाँवों में यद्यपि पशुपालन एक व्यवसाय के तौर पर नही है परन्तु प्रायः सभी घरों में मवेशी पाले जाते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में गोबर, खाद के लिये उपलब्ध होता है।

5.19 कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण

कृषि कार्य में प्रयुक्त तकनीक एवं उपकरण कृषि के प्रति समुदाय के दृष्टिकोंण एवं उस समुदाय में कृषि को एक संसाधन (स्रोत) के रूप में चिन्हित करने वाले महत्वपूर्ण मापदण्ड हैं। अध्ययन के गाँवों में कृषि करने वाले कुल परिवारों में से 96

प्रतिशत परिवार हल–बैल से कृषि कार्य करते हैं, 2 प्रतिशत परिवार ट्रैक्टर से एवं 2 प्रतिशत परिवार हल–बैल तथा ट्रैक्टर दोनों से कृषि कार्य करते हैं। जिन परिवारों में हल–बैल के द्वारा कृषि की जाती है, उनमें से 65.2 प्रतिशत परिवार के पास स्वयं के हल–बैल हैं। इसके बाद किराये से हल–बैल लेकर कृषि करने वाले हैं। कुछ लोग रिश्तेदार एवं पड़ोसी का हल–बैल लेकर भी खेती का काम करते हैं, इनकी संख्या काफी कम है। किराये अथवा रिश्तेदार एवं पड़ोसी के हल–बैल से खेती करने वाले ज्यादातर वे परिवार हैं जिनके पास जोत की छोटी जमीने हैं अथवा जो अपनी पूरी जमीन में कृषि कार्य नही करते अर्थात् ये वे परिवार हैं जिन्हें हल–बैल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नही होती है। कभी–कभी बैल के बीमार होने या एक बैल के मर जाने पर, हल–बैल रखने वाले परिवार भी किराये /रिश्तेदार अथवा पड़ोसी का हल–बैल लेकर कृषि करते हैं। किराये पर हल–बैल लेने वाले को 100–300 रू. प्रतिदिन तक किराया देना होता है। जमीन में जुताई–बोवाई के समय के अनुसार यह किराया कम या ज्यादा होता है। उस समय जब अधिकांश लोगों के खेतों में काम हो रहा होता है, फसल को निश्चित समय के अंदर बोना जरूरी है तब किराया अपेक्षाकृत ज्यादा देना होता है। सामान्य तौर पर यह 100 से 150 रू. प्रतिदिन है। कुछ लोग किराया रूपयों में न देकर फसल आने पर किराये के रूपयों के अनुसार अनाज देते हैं। रिश्तेदार अथवा पड़ोसी का हल–बैल लेने पर प्रायः उनके खेतों में 1–2 दिन मजदूरी करके किराया चुका देते हैं।

स्पष्ट है कि समुदाय में नकद राशि के द्वारा सेवाओं का मूल्य दिया जाता है। यद्यपि यहाँ अन्य रूपों में भी भुगतान किया जाता है परन्तु ऐसे मामले बहुत कम हैं।

5.20 ट्रैक्टर का प्रयोग

कृषि कार्य में ट्रैक्टर का प्रयोग आधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। अध्ययन के गाँवों में मात्र 66 परिवार ट्रैक्टर से खेती करवाते हैं, यहाँ 66 परिवार ऐसे भी हैं जो ट्रैक्टर एवं हल दोनों से कृषि कार्य करते हैं।

5.21 कृषि उत्पादन में प्रयुक्त आदान

कृषि कार्य में उत्पादन का आकलन तब तक उपयुक्त नहीं माना जा सकता जब तक कि उसमें लगे आदान (इनपुट) का आंकलन न किया जाए। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से कृषि कार्य में उनके द्वारा कितना आदान लगाया गया है इस बात की भी जानकारी ली गई। 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने जमीन के

रखरखाव से संबंधित आदान लगाया। जबकि 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें बाजार से बीज खरीदनी पड़ी। 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सिंचाई आदि पर भी व्यय किया। जबकि केवल 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि सिंचाई के लिए उन्हें बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ा। वहीं 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि डीजल आदि पर उनके द्वारा व्यय किया गया। जबकि 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने थ्रेसर, टैक्टर आदि पर व्यय किया। इसके अलावा 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कृषि कार्य के लिए उन्हें मजदूरी का भुगतान करना पड़ा। जबकि मात्र 1 प्रतिशत उत्तरदाता ने भंडारण पर व्यय किया। 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खाद व कीटनाशक आदि पर व्यय किया। इसे निम्न ग्राफ के माध्यम से स्पष्तः समझा जा सकता है।

ग्राफ क्रमांक 5.11

उत्पादन के प्रकार का वर्गीकरण

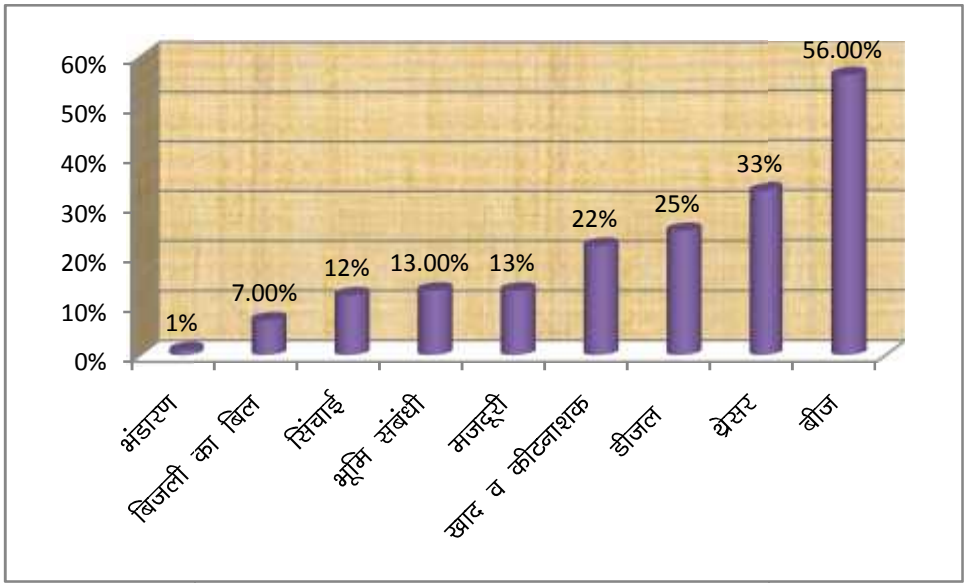

5.22 पलायन

अध्ययन के गाँवों में पाया गया कि उत्तरदाताओं के परिवारों की बचत एवं कर्ज का सीधा संबंध पलायन से है। परिवार के सदस्यों द्वारा पलायन तीन स्तरों पर किया जाता है। पहला, अपने विकासखण्ड से बाहर, दूसरा, अपने जिले से बाहर एवं तीसरा, राज्य से बाहर। प्राप्त आंकड़ों को देखे तो पाते हैं कि कुल उत्तरदाताओं में से 61 प्रतिशत परिवार के सदस्यों द्वारा अपने विकासखंड के बाहर पलायन किया जाता है। जिले से बाहर पलायन करने वाले परिवार 25 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 14 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर दिल्ली, गुजरात आदि

स्थानों पर जाकर कार्य किया जाता है। इसे निम्न ग्राफ से स्पष्टतः समझा जा सकता है। अध्ययन के गाँवों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक होने का एक प्रमुख कारण पुरूषों का पलायन भी है।

ग्राफ क्रमांक 5.12

पलायन की स्थिति

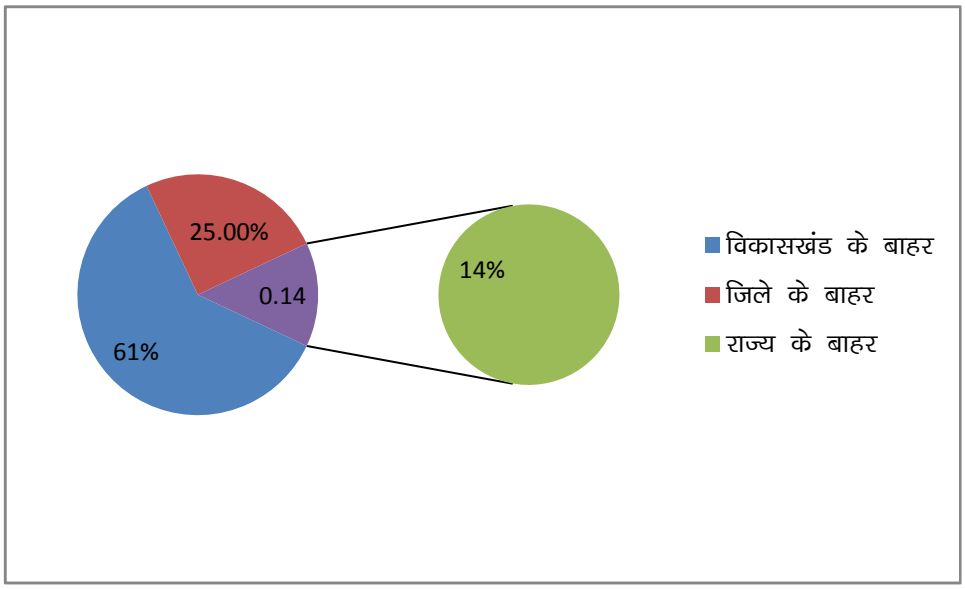

5.23 बचत एवं कर्ज की स्थिति

यदि उत्तरदाताओं के परिवारों में कर्ज की स्थिति देखें तो पाते हैं कि सभी उत्तरदाताओं ने या तो औपचारिक या अनौपचारिक स्त्रोत से कम या अधिक मात्रा में कर्ज लिया हुआ है। उत्तरदाताओं द्वारा घरेलू व्यय, चिकित्सा, आकस्मिक व्यय, आय वृद्धि आदि कारणों से कर्ज लिया जाता है। ये कर्ज साहूकार, मित्र अथवा रिश्तेदार, बैंक या सहकारी समिति, स्व–सहायता समूह/गैर–सरकारी संगठन तथा शासकीय योजना आदि स्त्रोतों से लिया गया है। अध्ययन में शामिल परिवारों द्वारा औसतन रु. 1600/– तक का कर्ज लिया गया है। उत्तरदाता परिवारों में कर्ज के स्त्रोत की स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्टतः समझा जा सकता है।

तालिका क्रमांक–5.8

कर्ज के स्त्रोत की स्थिति

क्रं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	सहूकार	112	56
2.	मित्र/ रिश्तेदार	34	17
3.	बैंक / सहकारी समिति	32	16
4.	स्व–सहायता समूह/ गैर–सरकारी संगठन	8	4
5.	सरकारी योजनाओं से लिया गया कर्ज	14	7
	योग	**200**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 56 प्रतिशत द्वारा कर्ज स्थानीय साहूकार से कर्ज लिया गया है। 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अपने मित्र अथवा रिश्तेदार से कर्ज लिया गया है। यदि औपचारिक स्त्रोत से कर्ज की स्थिति देखें तो पाते हैं कि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैंक अथवा सहकारी समिति से कर्ज लिया गया है। जबकि 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने स्व–सहायता समूह या गैर–सरकारी संगठन से कर्ज लिया है। मात्र 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी न किसी सरकारी योजना के माध्यम से कर्ज लिया गया है।

ग्राफ क्रमांक–5.13

कर्ज के स्त्रोत की स्थिति

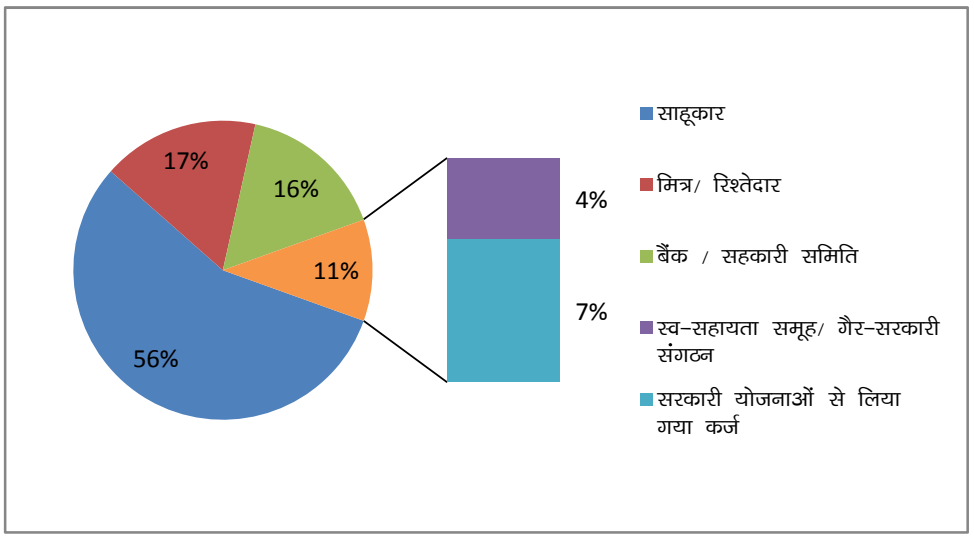

यदि उत्तरदाताओं के मध्य बचत की बात करें तो यह तथ्य उभरकर सामने आया कि कुल उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक अर्थात् 51 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बचत को अपने घरों में ही रखती है। जबकि 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपनी बचत को समूह में जमा करती है। इसके अलावा 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपनी होने वाली बचत को समीपवर्ती बैंक में जमा करती हैं। 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे बचत के पैसे से या तो कोई सामान खरीदती हैं या फिर किसी अन्य काम में खर्च कर देती हैं।

5.24 संकट का प्रबंधन

किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का संकट अवश्य आता है। फिर चाहे वह संकट सामाजिक, आर्थिक या फिर व्यक्तिगत स्तर का क्यों न हो। और ग्रामीण अंचलों में तो यह सामान्यतया जीवन का नियमित हिस्सा होता है। इसी तथ्य को जानने के लिए उत्तरदाताओं से उनके संकट के प्रबंधन के संबंध में जानने का प्रयास किया गया। इस संबंध में सर्वप्रथम कुल उत्तरदाताओं में से 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि उन पर कोई संकट आता है तो वे अपने मित्र या रिश्तेदार की मदद लेती हैं। वहीं 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि उन पर किसी प्रकार का संकट आता है तो वे स्थानीय साहूकार की मदद लेती हैं। संकट आने पर 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे उस स्थान से पलायन कर जाती हैं। वहीं 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि अधिकतर संकट आर्थिक प्रकृति का होता है इसलिए उन्हें मजदूरी पर आश्रित होकर मजबूरन कम मजदूरी में कार्य करना पड़ता है। जबकि 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि उन पर कोई संकट आता है तो वे वन या उसकी संपदा पर आश्रित होती है और उसी से अपने संकट से उबरने का रास्ता निकालती हैं। 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने आभूषण या अन्य संसाधनों को बेचकर संकट से उबरने की कोशिश करती हैं। इसके अतिरिक्त 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य प्रकार से जैसे ज्यादा से ज्यादा मजदूरी करना, कम खाना आदि उपाय अपनाकर संकट से उबरने की कोशिश करती हैं। चूँकि अधिकांश ग्रामीण महिलाओं की आजीविका स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर भूमि, जल और वन पर निर्भर करती है, इसलिए तेजी से हो रहे पर्यावरण क्षरण का उनके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ रहा है जैसे खाद्यान्न उत्पादन में कमी, जलाऊ लकड़ी का संकट, पशु आहार की कमी, पेयजल की अनुपलब्धता इत्यादि। समूह चर्चा में महिलाओं ने इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया और बताया कि जलाऊ लकड़ी व पेयजल की तलाश में उन्हें

काफी समय गाँव से बाहर बिताना पड़ता है इसलिए घर एवं छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी परिवार की बेटियों के कंधे पर आ जाती है जिसके कारण वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाती हैं।

संक्षेप में, अधिकांश उत्तरदाताओं के मकान का स्वरुप कच्चा है। यह 10000–50000 रू. की कीमत के बीच का है और इसका निर्माण विभिन्न कालखण्डों के दौरान हुआ है। अधिकांश मकानों का निर्माण परिवार के मुखिया जो पुरुष होता है, के द्वारा करवाया गया है। इन मकानों का क्षेत्रफल 100 से 2200 वर्ग फीट के बीच के हैं। लेकिन अधिकतम क्षेत्रफल वाले मकानों की संख्या नगण्य है। अधिकांश मकानों में 2–3 कमरे ही हैं। अधिकतम 5–7 कमरे वाले मकान बहुत ही कम हैं। अपवादस्वरुप ही किसी मकान में स्वतंत्र बैठक की व्यवस्था मिली। साथ ही अधिकांश मकानों में खिड़की की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार उत्तरदाताओं के मकानों में स्वतंत्र रसोई घर का भी अभाव है। रसोईघर उनके कनमे में ही है। अधिकांश घरों में पृथक रसोईघर और खिड़की की व्यवस्था नहीं होने के कारण चूल्हे के धुंए से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि घरेलू संसाधनों की बात करें तो उत्तरदाताओं के मकानों में परंपरागत तथा आधुनिक दोनो प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। इसमें खाट से लेकर पलंग तक उपलब्ध है। गद्दे के साथ–साथ कथड़ी भी उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध है। साथ ही कंबल का उपयोग भी दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है पहला ठंड के समय ओढ़ने तथा अन्य मौसम में बिछाने के लिए। अधिकांश घरों में विद्युत की उपलब्धता भी मिली। वहीं कुछ परिवारों के पास रेडियो, टेप तथा टी.वी. भी पाया गया, लेकिन इनकी उपलब्धता काफी कम थी। आवागमन के साधनों में अधिकांशतः साइकिल का ही प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने के लिए सबसे अधिक मिट्टी के चूल्हें का ही उपयोग किया जाता है। कृषि संसाधनों की स्थिति देखें तो लगभग अधिकांश घरों में जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि है उनके यहाँ हल उपलब्ध है। किसी परिवार में तो दो हल भी हैं। ये हल भी विभिन्न कालखण्डों में परिवार के मुखिया द्वारा ही बनवाये गए हैं। इसके अलावा बख्कर भी उत्तरदाताओं के पास पाया गया। नवीन कृषि उपकरण के अंतर्गत उत्तरदाताओं के पास मात्र थ्रेसर तथा सिंचाई करने हेतु पंप की पाया गया। अन्य आधुनिक कृषि उपकरण की अनुपलब्धता पायी गई। उत्तरदाताओं के पास पशुधन भी पाया गया जिसमें गाय, भैंस, बकरी तथा बैल हैं। कुछ परिवारों में मुर्गी भी पायी गई।

साथ ही यह भी पाया गया कि कुल परिवारों में से 21 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं और शेष परिवारों के पास 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन है। इन कृषि भूमि में से आधी भूमि सिंचित तथा आधी असिंचित है। अधिकांश भूमालिकों के पास उनकी कृषि भूमि का पट्टा है लेकिन कुछ भूस्वामियों के पास पट्टा नहीं है। उत्तरदाताओं की कृषि भूमि की कीमत रू. 25000 से लेकर 3 लाख तक है जो स्थान तथा भूमि की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित होती है। इसके अलावा 16 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें समय–समय पर शासन द्वारा जमीन दी गई और उस भूमि के पट्टे पर उस परिवार की महिला का नाम भी है। यह भूमि पुरुष तथा महिला दोनों को संयुक्त रुप से शासन द्वारा प्रदान की गई। भूमि एवं अन्य भौतिक संसाधनों पर ग्रामीण महिलाओं की अत्यंत ही सीमित पहुँच होने के कारण सामाजिक संसाधनों के संदर्भ में जैसे जानकारी, शक्ति और प्रतिष्ठा आदि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यदि भूमि की उर्वराशक्ति की दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि बहुत ही कम उत्तरदाताओं की भूमि उपजाऊ है। अध्ययन के गाँवों में कृषि का कार्य ठेका तथा बटाई पर भी किया जाता है, लेकिन यह बहुत कम ही लोगों द्वारा किया जाता है। साथ ही उत्तरदाताओं ने अपने खेतों में रासायनिक तथा जैविक दोनों प्रकार की खादों के प्रयोग की बात कही। यदि कृषि उपकरणों के प्रयोग की स्थिति देखें तो उत्तरदाताओं द्वारा परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वहीं पलायन की स्थिति देखें तो सर्वाधिक पलायन अपने विकासखंड से बाहर किया जाता है। जबकि कर्ज अनौपचारिक स्त्रोत से लिया जाता है। इसके अलावा अधिकांश महिलायें अपनी बचत को अपने घरों में ही रखती हैं। वहीं यदि इन पर किसी प्रकार संकट आता है तो वे अधिकांशतः अपने मित्र या रिश्तेदार की मदद लेती हैं।